न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 149/2017 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2017/00164**
दायर दिनांक :– 08.09.2017 **निर्णय दिनांक :– 25.02.2025**

1. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. चनणी बेवा रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. हीराराम पुत्र मुन्नाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. बरजू पत्नी किसनाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. किसनारमा पुत्र मुन्नाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. भंवरूराम पुत्र मुन्नाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रति. सं. 1

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 398 रकबा 105–07 बीघा व खसरा नम्बर 450 रकश्बा 56–19 बीघा कुल रकबा 162–06 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 398 रकबा 105–07 बीघा व खसरा नम्बर 450 रकश्बा 56–19 बीघा कुल

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

रकबा 162-06 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, घंटियाली द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार घंटियाली द्वारा राजस्व ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 398 रकबा 105-07 बीघा व खसरा नम्बर 450 रकश्बा 56-19 बीघा कुल रकबा 162-06 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	जगदीश पुत्र रामचन्द्र 1/2 हि., चनणी पत्नी रामचन्द्र 1/2 हि., जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली	केलनसर	450	6.5680 हैक्टेयर	बी-4
2	किसनाराम पुत्र मुनाराम हि. 65680/86997, बरजू पत्नी किशनाराम हि. 21317/86997 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली किसनाराम का हिस्सा।	केलनसर	398	8.6997 हैक्टेयर	बी-4
3	भंवरूराम पुत्र मुनाराम हि. 796/889, हीराराम पुत्र मुनाराम हि 80/889 जाति विश्नोई सा. देह, पाबूराम पुत्र राजूराम हि. 13/889 जाति जाट सा. सुथारनाडझ खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली भवरूराम का हिस्सा।	केलनसर	398	7.1953 हैक्टेयर	बी-4
4	हीराराम पुत्र मुनाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	केलनसर	398	1.1584 हैक्टेयर	बी-4
5	कमला पत्नी सुखराम हि. 1043/1290, हीराराम पुत्र मुनाराम हि. 235/1290 जाति विश्नोई, ग्राम पंचायत केलनसर 12/1290 हि. सा. देह खातेदार	केलनसर	450	2.6507 हैक्टेयर	बी-4

कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. चनणी बेवा रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. हीराराम पुत्र मुन्नाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. बरजू पत्नी किसनाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. किसनारमा पुत्र मुन्नाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. भंवरूराम पुत्र मुन्नाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 149/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 398 रकबा 105–07 बीघा व खसरा नम्बर 450 रकश्बा 56–19 बीघा कुल रकबा 162–06 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	जगदीश पुत्र रामचन्द्र 1/2 हि., चनणी पत्नी रामचन्द्र 1/2 हि., जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली	केलनसर	450	6.5680 हैक्टेयर	बी–4
2	किसनाराम पुत्र मुनाराम हि. 65680/86997, बरजू पत्नी किशनाराम हि. 21317/86997 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली किसनाराम का हिस्सा।	केलनसर	398	8.6997 हैक्टेयर	बी–4
3	भंवरूराम पुत्र मुनाराम हि. 796/889, हीराराम पुत्र मुनाराम हि 80/889 जाति विश्नोई सा. देह, पाबूराम पुत्र राजूराम हि. 13/889 जाति जाट सा. सुथारनाडझ खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली भवरूराम का हिस्सा।	केलनसर	398	7.1953 हैक्टेयर	बी–4

हीराराम पुत्र मुनाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	केलनसर	398	1.1584 हैक्टेयर	बी–4
5 कमला पत्नी सुखराम हि. 1043/1290, हीराराम पुत्र मुनाराम हि. 235/1290 जाति विश्नोई, ग्राम पंचायत केलनसर 12/1290 हि. सा. देह खातेदार	केलनसर	450	2.6507 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.02.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।